



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072021-228281
CG-DL-E-13072021-228281

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2600]
No. 2600]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 13, 2021/आषाढ़ 22, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13, 2021/ASHADHA 22, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2021

का.आ. 2805(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 22 के उपबंधों के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी दंडनीय अपराध के संबंध में लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

1. निदेशक।
2. प्रमुख, खनन विनियामक समूह।

[फा. सं. 1/1/2019-एम.VI (part)]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2021

S.O. 2805(E).—In pursuance of the provisions of section 22 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby authorises the following officers of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research to prefer complaints in writing in respect of any offence punishable under the said Act or the rules made thereunder in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the said Act, namely: —

1. The Director.
2. Head, Mining Regulatory Group.

[F. No. 1/1/2019-M.VI (Part)]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.